उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अतिक्रमण अपील वाद सं0-03/2016-17

जितेन्द्र ठाकुर

बनाम्

अंचल अधिकारी, गोड्डा

-: आदेश :-

दिनांक 16.09.2?

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गितेन्द्र ठाकुर उर्फ जितेन्द्र ठाकुर, पे0-स्व0 गंगाधर ठाकुर, वर्तमान निवास एल0एन0 मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, पो0-लालबाग, थाना-नगर थाना, जिला-दरभंगा बिहार के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के नोटिश दिनांक-14.03.2016 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता को मौजा-गोढ़ीमाल थाना नं0-503 गैरमजरूआ खाता नं0-77 दाग नं0-44 रकवा 0.0379 एकड़ भूमि से बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश निर्गत किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त नोटिश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0-1673/2016 (गितेन्द्र ठाकुर उर्फ जितेन्द्र ठाकुर बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-30.03.2016 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अनुच्छेद इस प्रकार है :-*"However, it appears that petitioner has straightaway approached this court without availing of statutory remedy of appeal under section 11 of the Act of 1956."*

...

"At this stage without making observation on the merit of the case, the writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to approach the appellant authority within a period of three week from today. If petitioner prefers an appeal within a period of three weeks, the appellate authority would consider the same on its own merit. It would be open to the petitioner to take all such grounds of law and facts available to him."

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के उपरोक्त आदेश के आलोक में अपील आवेदन दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में निहित

प्रावधानों का अनुपालन एवं जमीन का नापी किये बिना ही अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अतिक्रमण वाद सं0–01/16 प्रारम्भ कर मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503 खाता नं0–44 रकवा 0.0379 एकड़ जमीन से हटाने के लिए नोटिश दिया गया। जबकि मौजा–गोढ़ीमाल खाता नं0–34 दाग नं0–44 एवं 42 की जमीन अपीलकर्त्ता की पैतृक जमीन है, जो अपीलकर्त्ता के पूर्वज को कुर्फा द्वारा बंदोवस्त किया गया था और उस पर 15.04.1949 से दखलकार है। 09.09.1964 को जगदीश प्रसाद के द्वारा अपीलकर्त्ता के दादा एवं चाचा के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0स0 के तहत प्रक्रिया चलाने के लिए शिकायत आवेदन यह आरोप लगाते हुए कि उसके दाग की जमीन का पानी दाग नं0–44 की नाला की जमीन होकर बहकर पीरपैंती रोड में बहता है एवं उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्त्ता के दादा के द्वारा दाग नं0–44 की जमीन को गलत तरीका से खरीदा गया है तथा मकान बनाकर नाला को अवरूद्ध किया गया। शिकायतकर्त्ता के शिकायत आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा क्रि0 मीस केश नं0–375/1964 प्रारम्भ किया गया एवं जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। दिनांक–01.12. 1964 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। उसमें नाला का कोई निशान नहीं पाया गया एवं यह पाया गया कि उस जमीन पर अपीलकर्त्ता के दादा लम्बी अवधि से मकान बनाकर निवास कर रहें हैं और यह भी पाया गया कि शिकायतकर्त्ता का उससे कोई संबंध नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के दादा ने दाग नं0–42 की जमीन एवं उससे सटे दाग नं0–44 की जमीन जो उनके दादा को कुर्फा द्वारा 15.04.1949 को बंदोवस्त किया था, का नामांतरण के लिए आवेदन दाखिल किया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा मुटेशन केश नं0–43/1965–66 पंजीकृत किया गया एवं आदेश दिनांक–27.09.1965 के द्वारा उनके नाम से नामांतरण स्वीकृत किया गया। उनका आगे कथन है कि बुझारत Dispute केश नं0–02/1967 में भी अपीलकर्त्ता के दादा का उक्त जमीन पर दखल पाया गया था एवं आदेश दिनांक–18.05.67 द्वारा आदेश पारित किया गया कि शिवशंकर ठाकुर के घर के बगल में नाला छोड़ दिया गया है। दूसरा रेणुवाला देवी, पति–श्री जगदीश प्रसाद के द्वारा अतिक्रमण वाद लायी गयी थी, जो अंचल अधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अतिक्रमण केश नं0–17/1975–76 दायर किया गया था, जो बाद में समाप्त कर दिया गया। पुनः अपीलकर्त्ता के दादा एवं चाचा के विरूद्ध धारा 147 द0प्र0स0 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में क्रि0 मीस0 केश नं0–99/1984 लाया गया था जो नाला का निशान नहीं पाये जाने के कारण वाद को समाप्त कर दिया गया। वाद हारने

के बाद जगदीश प्रसाद के द्वारा फिर से उसी जमीन पर धारा 147 द0प्र0स0 के तहत प्रक्रिया चलाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया। उस प्रक्रिया के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के दादा एवं चाचा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना में क्रि0 मीस केश नं0–2580/87 दायर किया गया था, जो आदेश दिनांक–13.01.1988 के द्वारा याचिका स्वीकृत किया गया एवं यह माना गया कि एक ही कारण के लिए बार–बार आवेदन दायर किया गया है। इस तरह अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होता है एवं यह आदेश एक ऐसा ही उदाहरण है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0स0 के तहत दूसरा क्रि0मीस केश नं0–28/1989 चलाया गया था, जो आदेश दिनांक–16.05.1989 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर उसी दाग नं0–44 की जमीन से अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अतिक्रमण वाद सं0–01/16 प्रारम्भ कर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश दिया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के निर्गत नोटिश को रद्द करने के लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0 (सी0) नं0–1673/2016 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची ने डब्लू0पी0 (सी0) नं0–1673/2016 में दिनांक–30.03.2016 को आदेश पारित किया गया एवं आदेश के द्वारा अपीलकर्त्ता को वैधानिक लाभ के लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 11 के तहत अपील वाद दायर करने के लिए कहा गया। लेकिन चूँकि वर्ष 1964 से 2016 तक लगभग 50 वर्षो से अधिक वर्षो की अवधि के भीतर कहीं भी स्थापीत नहीं किया गया कि उक्त जमीन सार्वजनिक जमीन है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 या 6(2) के तहत अतिक्रमण का नोटिश जारी करने के पहले धारा 2(ए0) से (सी0) के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए भूमि को सार्वजनिक भूमि प्रमाणित किया जाना चाहिए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 या अन्य किसी भी अधिनियम या कानून के अनुसार जब से भूमि सरकार में निहित हुआ है, तब से उक्त भूमि को सार्वजनिक भूमि दिखाने के लिए अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है और न ही सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत उच्छेद करने के लिए अपीलकर्त्ता या उनके पूर्वज को कभी भी नोटिश नहीं दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के जो ए0आई0आर0 1959 एस0सी0 पेज सं0–519 में प्रतिवेदित है, के अनुसार भी उक्त जमीन सार्वजनिक जमीन नहीं है। इसलिए अंचल अधिकारी, गोड्डा के

अपीलकर्त्ता पर अतिक्रमण प्रक्रिया को चलाना बिल्कुल अवैध है। उन्होंने अतिक्रमण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अचंल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1386/रा0 दिनांक–19.08.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503 अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता सं0–77 दाग सं0–44 कुल रकवा 00–03–03 धुर किस्म डाड़ कहकर सर्वे पर्चा में दर्ज है। उक्त दाग के 0.0379 एकड़ जमीन पर मकान पक्का, ईंट चदरा एवं ईंट घेरा के रूप में अतिक्रमित किया गया है। पूछताछ में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त मकान एवं घेरा जितेन्द्र ठाकुर, पिता–स्व0 गंगाधर ठाकुर का है, जो वर्तमान में जिला–दरभंगा (बिहार) में रह रहें हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र झारखण्ड, राँची में की गई शिकायत सं0–2016–16570 दिनांक–02.05.2016 के आलोक में अतिक्रमण वाद सं0–01/16–17 के तहत नोटिश निर्गत की गई थी, परन्तु अबतक इनके द्वारा अतिक्रमित भूमि खाली नहीं की गई है। उपलब्ध पंजी–2 में खाता सं0–77 दाग नं0–44 किसी व्यक्ति के नाम से धारित नहीं हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मौजा–गोढ़ीमाल नं0–503 अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता नं0–77 दाग नं0–44 कुल रकवा 00–03–03 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में किस्म डाँड़ कहकर दर्ज है। उक्त दाग के अंदर रकवा 0.0379 एकड़ जमीन अपीलकर्त्ता के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि वर्ष 1964 से 2016 तक 50 वर्षों के अवधि में उक्त जमीन को सार्वजनिक जमीन स्थापित नहीं किया गया है। जबकि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार उक्त जमीन डाँड़ की जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 36 जिसमें उल्लेख है कि **Rivulets or nalas on the boundaries of village, burning and burial grounds, camping grounds, boundry marks, roads, paths and places of worship not to be settled.-** Rivulets or nalas on the boundaries of village, burning and burial grounds, camping grounds, land bearing boundary marks, public roads, village paths, jaherthan and other places of worship shall not be reclaimed or cultivated or converted to any other purpose by any raiyat. No proprietor, landlord, village headmen or mulraiyat shall appropriate these to their own use, nor shall they settle these with any raiyat. के तहत डाँड़ की जमीन पर अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को

खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16/09/21 | 16/09/21
उपायुक्त, | उपायुक्त,
गोड्डा। | गोड्डा।

Seen 29/9/21

DB No- 138
Date- 18/09/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:15:03 +05:30
Location: 192.168.29.8